न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–126/2024

जी.सी.एम.एस नं.–2024/258

1. बुड़सिंह पुत्र कका सिंह जाति रायसिख निवासी चक–1 एस जे एम (बी) करणीसर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)

———वादी

बनाम्

1. ककासिंह पुत्र जगन सिंह जाति रायसिख निवासी चक–1 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)
2. राम सिंह पुत्र जगनसिंह जाति रायसिख निवासी चक–1 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. लालासिंह पुत्र कका सिंह जाति रायसिख निवासी चक–1 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ़ श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजू सिंह पुत्र रामसिंह जाति रायसिख निवासी चक–1 एस जे एम (ए) तहसील अनूपगढ़ श्रीगंगागनर (राज.)
5. उपं पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री चरणजीत सिंह चन्दी एडवोकेट —वादी की ओर से
2. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट —प्रतिवादीगण सं–1,2,4 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

:: निर्णय :: दिनांकः–16.05.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है यह कि वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय से यह अनुतोष चाहा है कि विवादित कृषि भूमि वाके चक–4 केएसडी (ए) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–18 का पत्थर सं.–250/374 का किला नं.–13/1, 14, 15/1, 15/2, का 0.632 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के संबध मं प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रतिवादी सं.–4 के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज दान पत्र दिनांक–03.03.2023 को आरभ से प्रभावहीन, प्रभावशुन्य व वादी के अधिकारो के प्रति बेअसर घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:13:02 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में प्रतिवादीगण सं.–1 कका[illegible] **आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश कर निवेदन किया कि यह कि वा[illegible] में [illegible] प्रश्नगत कृषि भूमि मन प्रतिवादी सं.–1 ककासिंह के पिता जगनसिंह पुत्र चान्दीसिंह की अ[illegible] शुदा कृषि भूमि थी मिन प्रतिवादी सं.–1 के पिता की उक्त कृषि भूमि [illegible] पुत्र होने के नाते विरास्त में प्राप्त नहीं हुई है बल्कि उक्त कृषि भूमि को [illegible] प्रतिवादी सं.–1 के पिता जगनसिंह ने दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 21.03.1994 को पंजीकृत करवाकर मुझ प्रतिवादी सं.–1 को प्रदत की थी। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि मुझ प्रतिवादी सं.–1 को वसीयत से प्राप्त होने के कारण मुझ प्रतिवादी सं.–1 की अनन्य स्वामित्व की स्वअर्जित कृषि भूमि है तथा पिता

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जगनसिंह ने पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.03.1994 की रूह से मिनप्रतिवादी सं.–1 को उक्त कृषि भूमि का अनन्य स्वामित्व प्रदत किया था। इस आधार पर मिन प्रतिवादी सं.–1 की प्राप्त उक्त विवादित आराजी मिन प्रतिवादी सं.–1 के हाथो में कतई पैतृक सम्पति की श्रेणी में नहीं आता है तथा ना ही उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं.–1 के परिवारजन जन्म से ही उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी ही है अतएवं माननीय सवर्वोच्च द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतो के मध्यनजर वादी को उक्त वाद पत्र पेश करने के कोई कानूनी एवं वाकेयाती अधिकार प्राप्त नहीं हैं वादी द्वारा वाद पत्र के मुख्य अनुतोष पंजीकृत दान पत्र दिनांक 03.03.2023 को आरम्भ से प्रभावहीन, प्रभावशून्य एवं वादी के अधिकारो के प्रति बेअसर घोषित करने का अनुतोष चाहा है, चूंकि प्रतिवादी सं.–1 को प्रतिवादी सं.–4 के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र निष्पादित करवाने के विधिक अधिकार प्राप्त थे इस कारण प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रतिवादी सं.–4 के पक्ष में पंजीबद्ध दान पत्र दिनांकित 03.03.2023 कतई शून्य दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता हैं जिसके कारण ऐसे दस्तावेज को प्रभावहीन व प्रभावशून्य घोषित करने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त ना होकर माननीय सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिकर एवं माननीय न्यायालय को उक्त वाद पत्र में वर्णित अनुतोष प्रदत करने की अधिकारिता प्राप्त ना होने, उक्त वाद का आगे विचारण करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा अतएवं वाद वादी इसी आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो एवं अर्न्तनिति शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ निरस्त किया जावे ताकि न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट ना होवे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर निरस्त फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर जबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्य असत्य, गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है प्रार्थना पत्र की मे प्रशनगत भूमि प्रतिवादी सं–1 के पिता जगनसिंह पुत्र चांदीसिंह के नाम से आवंटित होना स्वीकार है शेष तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किए गए है अस्वीकार है प्रतिवादी सं.–1 के पिता जगनसिंह पुत्र चांदीसिंह के पांच पुत्र थे तथा जगनसिंह ने अपने जीवनकाल में ही पारिवारिक व्यवस्था करते हुऐ सभी पुत्रो को उनका हिस्सा बांटते हुऐ उनके हिस्सा की कृषि भूमि की वसीयत करवा दी गई थी ताकि उसके देहांत के बाद उसके पुत्रो के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। इस प्रकार प्रशनगत भूमि वादी के दादा के नाम से थी तथा वादी के दादा से ही उक्त भूमि वादी के पिता को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि मे वादी का जन्म से ही हित निहित है। प्रतिवादी सं–1 को प्रतिवादी सं–4 के पक्ष में उक्त भूमि का दान पत्र करने का कोई विधिक अधिकार नही था। यह कि प्रशनगत भूमि मे वादी का जन्म से हित निहित है इसलिए प्रतिवादी सं–1 को उक्त दान पत्र प्रतिवादी सं–4 के पक्ष मे निष्पादित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था इसलिए दस्तावेज दान पत्र दिनांक 03–03–2023 वादी के अधिकारो के प्रति बेअसर, प्रभावहीन व प्रभावशुन्य है वादी द्वारा अपने अधिकारो की घोषणा करवाने के उंपरात ही दस्तावेज दान पत्र को सिविल न्यायालय मे प्रशनागत किया जावेगा। अधिकारो की घोषणा के बिना सिविल न्यायायल में कानूनन वादी दान पत्र को प्रशनागत [illegible] सकता है वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक है या स्वअर्जित है, के तथ्य जबाव [illegible] पक्षकारो की साक्ष्य रिकार्ड पर आने के पश्चात ही तैय किया जाना है। इसलिए इस स्टेज पर उक्त अंतर्गत आदेश 7 नियम–11 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है तथा वसीयत दिनांक 21–03–1994 भी पारिवारिक व्यवस्था के प्रकार मे है जिसमें सयुंक्त परिवार की सहमति थी, इसलिए अरितत्व मे आई थी। इसलिए भी वादग्रस्त सम्पतिं पैतृक की श्रेणी में आती है अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं–1 का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:13:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं.–1 के ककासिंह के पिता जंगनसिंह पुत्र चांदीसिंह की आवंटन शुदा कृषि भूमि थी उक्त आंवटित कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 ककासिंह को विरास्तन से प्राप्त न होकर जंगनसिंह के द्वारा निष्पादित व पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.03.1994 की रूह से प्राप्त हुई थी इस प्रकार उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स.–1 को जरिए वसीयतनामा प्राप्त होने के कारण उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं.–1 के अनन्य स्वामित्व कि स्वयअर्जित कृषि भूमि है इस प्रकार उक्त कृषि भूमि कतई प्रतिवादी सं.–1 के हाथो में पैतृक सम्पति की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा ना ही उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं.–1 के परिवारजन जन्म से ही किसी प्रकार कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने व विधिक अधिकारी हैं चूकि प्रतिवादी सं.–1 ने ककासिंह को अपने पोत्र को राजूसिंह प्रतिवादी सं.–4 के पक्ष में पंजीकृत दानपत्र दिष्पादित करने के विधिक अधिकार प्राप्त थे इस कारण प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रतिवादी सं.–4 के पक्ष में पजीकृत दानपत्र दिनांक 03.03.2023 कतई शून्य दस्तावेज की श्रेणी में नही आता है जिसके कारण ऐसे दस्तावेज को प्रभावहीन व प्रभान शून्य घोषित करने का श्रवणाधिकार इस माननीय न्यायालय को प्राप्त न होकर माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है अतः वाद वादी विधिद्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण के हस्तगत वाद पत्र को इसी अवस्ता पर नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव, आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:13:02 IST
Reason: SelfAttested